WITWAVES
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
Vol-1 Issue-3
(International Peer-Reviewed E-Journal)
(December 2024)

अंतर्राष्ट्रीय कराधान संधियाँ और भारतीय व्यवसाय

कैलाश शुक्ला
सहायक प्राध्यापक

सारांश

वैश्वीकरण, उदारीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। वर्तमान समय में भारतीय कंपनियाँ विश्व के अनेक देशों में निवेश, उत्पादन, सेवा एवं व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित कर रही हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों की कर प्रणालियों के कारण दोहरे कराधान (Double Taxation) की समस्या उत्पन्न होती है, जो व्यापार की लागत बढ़ाने तथा निवेश को प्रभावित करने का कार्य करती है। इस समस्या के समाधान हेतु देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय कराधान संधियाँ (Double Taxation Avoidance Agreements – DTAAs) स्थापित की जाती हैं।

भारत ने 90 से अधिक देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव संबंधी संधियाँ की हैं, जिनका उद्देश्य करों की दोहरी वसूली को रोकना, सीमा-पार निवेश को प्रोत्साहित करना, कर चोरी एवं कर अपवंचन पर नियंत्रण स्थापित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सहयोग को सुदृढ़ बनाना है। इसके अतिरिक्त OECD तथा G20 द्वारा विकसित BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) परियोजना, Multilateral Instrument (MLI) तथा वैश्विक न्यूनतम कर (Global Minimum Tax) जैसी व्यवस्थाएँ भी अंतर्राष्ट्रीय कराधान के स्वरूप को परिवर्तित कर रही हैं।

यह शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय कराधान संधियों की अवधारणा, उद्देश्य, कानूनी आधार, भारतीय कर प्रणाली में इनके महत्व, भारतीय व्यवसायों पर इनके प्रभाव, चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

बीज-शब्द

अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दोहरा कराधान, DTAA, भारतीय व्यवसाय, OECD, BEPS, MLI, विदेशी निवेश, कर अपवंचन, वैश्विक कर व्यवस्था।

1. प्रस्तावना

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के साथ-साथ कराधान की जटिलताएँ भी बढ़ी हैं। जब कोई भारतीय कंपनी किसी अन्य देश में व्यापार करती है अथवा विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है, तब दोनों देशों के कर कानून लागू होने की संभावना रहती है। परिणामस्वरूप एक ही आय पर दो देशों में कर लगाया जा सकता है, जिसे दोहरा कराधान कहा जाता है। दोहरे कराधान से निवेशकों की आय कम होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महँगा हो जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु विभिन्न देशों ने आपसी कर संधियाँ विकसित की हैं।

भारत का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 एवं 90A केंद्र सरकार को अन्य देशों के साथ कर संधि करने का अधिकार प्रदान करती है। यदि DTAA का प्रावधान करदाता के लिए अधिक लाभकारी हो, तो वह आयकर अधिनियम के स्थान पर DTAA का लाभ प्राप्त कर सकता है।

आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय आईटी कंपनियाँ, फार्मास्यूटिकल उद्योग, ऑटोमोबाइल कंपनियाँ, स्टार्टअप तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अनेक देशों में कार्यरत हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय कराधान संधियाँ भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

2. शोध के उद्देश्य

1. अंतर्राष्ट्रीय कराधान संधियों की अवधारणा को समझना।
2. भारत की DTAA व्यवस्था का अध्ययन करना।
3. भारतीय व्यवसायों पर कर संधियों के प्रभाव का विश्लेषण करना।
4. कर अपवंचन रोकने हेतु विकसित वैश्विक उपायों का अध्ययन करना।
5. भविष्य की चुनौतियों एवं सुधारों का मूल्यांकन करना।

3. शोध-विधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है।

आँकड़ों के स्रोत

आयकर अधिनियम, 1961

भारत सरकार का वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)

OECD रिपोर्ट

UN Model Tax Convention

विश्व बैंक एवं IMF रिपोर्ट

शोध पत्र, पुस्तकें एवं जर्नल

विभिन्न न्यायिक निर्णय

4. अंतर्राष्ट्रीय कराधान की अवधारणा

अंतर्राष्ट्रीय कराधान वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के कर कानूनों का समन्वय किया जाता है ताकि सीमा-पार व्यापार एवं निवेश पर कर निर्धारण उचित प्रकार से किया जा सके। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं—

दोहरे कराधान से बचाव

निवेश को प्रोत्साहन

व्यापार वृद्धि

कर चोरी रोकना

राजस्व संरक्षण

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

5. दोहरे कराधान की समस्या

दोहरे कराधान दो प्रकार का होता है—

(क) विधिक दोहरा कराधान

एक ही आय पर एक ही व्यक्ति से दो देशों द्वारा कर वसूला जाता है।

(ख) आर्थिक दोहरा कराधान

एक ही आय पर अलग-अलग व्यक्तियों से कर लगाया जाता है।

6. DTAA (Double Taxation Avoidance Agreement)

DTAA दो देशों के बीच किया गया ऐसा समझौता है जो यह निर्धारित करता है कि आय पर किस देश को कर लगाने का अधिकार होगा तथा करदाता को दोहरे कराधान से कैसे राहत मिलेगी। DTAA के उद्देश्य -

दोहरे कराधान से राहत

विदेशी निवेश बढ़ाना

व्यापार प्रोत्साहन

कर विवाद कम करना

कर अपवंचन रोकना

सूचना का आदान-प्रदान

7. भारत की प्रमुख कर संधियाँ

भारत ने अनेक देशों के साथ DTAA किए हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड प्रमुख हैं।

8. भारतीय व्यवसायों पर प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

विदेशी निवेश में वृद्धि

निर्यात को प्रोत्साहन

पूँजी लागत में कमी

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार

कर निश्चितता

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि

नकारात्मक प्रभाव

Treaty Shopping

कर अपवंचन

लाभ का कृत्रिम स्थानांतरण

शेल कंपनियों का उपयोग

9. OECD एवं BEPS परियोजना

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कृत्रिम रूप से लाभ को कम कर वाले देशों में स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति को रोकना है। BEPS के प्रमुख उद्देश्य—

कर पारदर्शिता

सूचना साझाकरण

Transfer Pricing सुधार

डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर

हाइब्रिड मिसमैच समाप्त करना

10. Multilateral Instrument (MLI)

MLI एक बहुपक्षीय संधि है जिसके माध्यम से अनेक DTAA में एक साथ संशोधन संभव हुआ। इसके प्रमुख लाभ—

Treaty Abuse रोकना

Principal Purpose Test (PPT)

Permanent Establishment नियम

विवाद समाधान

11. ट्रांसफर प्राइसिंग एवं भारतीय व्यवसाय

Transfer Pricing वह मूल्य है जिस पर एक ही बहुराष्ट्रीय समूह की विभिन्न इकाइयों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन-देन होता है। भारत में ट्रांसफर प्राइसिंग नियम OECD Guidelines पर आधारित हैं।

12. डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं कराधान

डिजिटल कंपनियों के बढ़ते प्रभाव ने पारंपरिक कर प्रणाली को चुनौती दी है। भारत द्वारा—

Equalisation Levy, Significant Economic Presence (SEP) जैसे प्रावधान लागू किए गए।

13. भारतीय व्यवसायों के लिए लाभ

कर बचत

वैश्विक विस्तार

निवेश सुरक्षा

विदेशी शाखाओं का विकास

तकनीकी सहयोग

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय योजना

14. प्रमुख चुनौतियाँ

जटिल कर कानून

संधियों की व्याख्या में अंतर

डिजिटल व्यापार

ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद

वैश्विक न्यूनतम कर

अनुपालन लागत

15. सुधार हेतु सुझाव

DTAA का नियमित अद्यतन।

डिजिटल अर्थव्यवस्था हेतु स्पष्ट कर नियम।

कर प्रशासन का डिजिटलीकरण।

अंतरराष्ट्रीय सूचना विनिमय को मजबूत करना।

MSME के लिए सरल अनुपालन व्यवस्था।

BEPS और OECD मानकों का प्रभावी क्रियान्वयन।

कर विवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करना।

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय कराधान संधियाँ वैश्विक व्यापार व्यवस्था की आधारशिला हैं और भारतीय व्यवसायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये संधियाँ दोहरे कराधान से राहत प्रदान करती हैं, विदेशी निवेश को आकर्षित करती हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। भारत ने व्यापक DTAA नेटवर्क, BEPS उपायों, MLI तथा डिजिटल कराधान संबंधी सुधारों के माध्यम से अपनी कर व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया है।

हालाँकि, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कर अपवंचन, ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद तथा वैश्विक न्यूनतम कर जैसी नई चुनौतियाँ निरंतर उभर रही हैं। इसलिए भारत को अपनी कर संधियों का समय-समय पर पुनरीक्षण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने, कर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने तथा निवेश-अनुकूल वातावरण बनाए रखने की दिशा में सतत प्रयास करने होंगे। एक संतुलित, पारदर्शी और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कराधान व्यवस्था भारतीय व्यवसायों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के साथ-साथ देश की आर्थिक प्रगति और राजस्व सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

संदर्भ सूची

1. आयकर अधिनियम, 1961
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय।
3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)।
4. OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital.
5. OECD. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Reports.
6. United Nations. UN Model Double Taxation Convention.
7. Richard Doernberg, International Taxation.
8. Klaus Vogel, Double Taxation Conventions.
9. V.S. Datey, Direct Taxes Law and Practice.
10. ICAI, Professional Study Material on International Taxation.